

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, दिनांक 11/12/16 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डी.कॉन्ट्रोल डिप्टी

2. वर्तमान धारित पर न.अपार्ट

3. वर्तमान वेतन 14300 + 3200 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-07-2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राय का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<u>जबालिपर</u>	<u>अट्ट</u>	-	<u>50,00,000/-</u>	<u>विरासत के जार आशिल्विन (टीन आडिओ) के सहित स्वस्थिति</u>	<u>पेट्टक स्वस्थिति</u>	<u>नहीं</u>	-	

जहां लागू न हो क्रॉड दीजिए।

*** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अ.व.र.प.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पब्लिक नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित अवकाश उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अवकाश संपत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर

[Signature]

नाम : डी.कॉन्ट्रोल डिप्टी

पर : न.अपार्ट

विभाग : शासकीय ले.सा. एवं उका.अपार्ट

जबालिपर (500)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31-12-2016 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मैनाशा चन्द झा 2. वर्तमान धारित पद सहायक शैल

3. वर्तमान वेतन 13850 + 2800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2017

उस विले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, बिरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकारीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मजदूरीय शासकीय सेवक (आवक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जीय नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानि की अवधि के परबाल यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे बिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर Amulya

नाम : मैनाशा चन्द झा

पद : सहायक शैल

विभाग : शासन एवं सार्वजनिक प्रशासन

उपस्थित

प्रार्थना

प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, दिनांक 31.12.16 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 242151 पंचायती

3. वर्तमान वेतन 13280 रु 2880 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2017

2. वर्तमान भारत पर 242151 का प्रोड-II

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा प्राय का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योम		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योम	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Jalidpur	उरुह	-	10,00,000	उरुह	आरिश्ते-रुह बैंक के माध्यम से	451	-	

* जहां लागू न हो काल दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

दियायी: मध्यदेश शासकीय सेवक (अन्वेषण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित भवना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल संपत्ति के व्योम दें।

हस्ताक्षर

Shuk

नाम: शरान पंचायती

पद: सह विकास प्रोड-II

दिनांक: 24/12/2017

जालिपुर

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबत सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31/12/2016 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 21/03/2017 सिंह सिंघाणिया
2. वर्तमान धारित पद 24/05/2017 टीन
3. वर्तमान वेतन 8590 + 2170 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योम		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योम	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिभुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
NIL								

* जहाँ सांग न हो कोट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्यथा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अबतक उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अथवा सम्पत्ति के व्योम दें।

हस्ताक्षर : सिंघाणिया
 नाम : 21/03/2017 सिंह सिंघाणिया
 पद : 24/05/2017 टीन - टीन
 विभाग : शासन एवं सांख्यिक प्रशासन
 24/05/2017 (संख्या)

प्राप्त

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, दिनांक 11.11.16 से 31/12/16 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो निकेश शर्मा
2. वर्तमान धारित पद श.ए. नं. 215-III
3. वर्तमान वेतन 82907.2470 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01.07.17

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य धरोवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निराश			

* जहां लागू न हो क्राड दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
**** न.प.प्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल संपत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर: Nikesh
नाम: निकेश शर्मा
पद: श.ए. नं. 215-III
विभाग: शासनिक सेवाएं एवं प्रका.
भुवनेश्वर उद्या.